हरिशचंद्र लदाकू थांगे

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

30 अगस्त, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1960-धारा 302 और 394-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-की शुद्धता-अभिनिर्धारित अभियोजन मामला अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में सफल रहा है, इसलिए, दोषसिद्धि अपास्त की -साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, डी अपने खेत से घर नहीं लौटी। उसके बेटे-पीडब्लू 1 और अन्य लोगों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। फिर पांचवें दिन दुर्घटनावश मौत की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद, अपीलार्थी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर, दरांती-हथियार हमला और डी से संबंधित कुछ गहने बरामद किए गए। आरोपी की कमीज और जिस कपड़े में गहने बंधे हुए थे, उस पर डी के रक्त समूह के धब्बे थे। आरोप है कि घटना से तीन दिन पहले आरोपी ने डी को उसके बकाया का भुगतान नहीं

करने के लिए धमकी दी थी और डीdh नौकरी छोड़ दी थी। घटना की तारीख को, आरोपी और डी को आखिरी बार डी के खेत में एक साथ देखा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा उजागर की गई परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 और 394 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

1.1 यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की गई है। दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है। [पैरा 18]

1.2. मौजूदा मामले में, अंतिम बार देखे जाने की दलील के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-4 ने वास्तव में आरोपी और मृतका को एक साथ नहीं देखा था। उसने जो कहा था वह यह था कि आरोपी खेत के पास में ही कुछ दूरी पर मौजूद था। यह कथन वास्तव में आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने की अवधारणा में नहीं लाता है। यदि ऐसा था, तो यह तर्क पीडब्लू-4 पर भी समान रूप से लागू होता है। हमले के हथियार की बरामदगी के संबंध में, उच्च न्यायालय ने स्वयं

बरामदगी की दलील को खारिज कर दिया था। कथित घटना दिनांक 01/07/1989 को हुई थी।

दिनांक 5.7.89 तक शव को किसी ने नहीं देखा था। पीडब्लू 1 के अनुसार, उन्होंने और अन्य लोगों ने शव की तलाश की थी। दिलचस्प बात यह है कि शव उस खेत के बगल में मिला जहां मृतका कथित तौर पर काम कर रही थी। यहाँ तक कि 5.7.89 को भी सूचना देने वाले पीडब्लू-1 द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु का मामला दर्ज कराया गया था। [पैरा 16 और 17] [569-सी-ई]

2.1. किसी अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराध को घटित होते देखा जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष सीधी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा, जिन्होंने अपराध अपने समक्ष घटित होते देखा है, को परीक्षित कराकर ही उसे साबित किया जाए। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। मुख्य तथ्य या तथ्यात्मक प्रोबैंडम को अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यात्मक प्रोबन्स, यानी साक्ष्यात्मक तथ्य से लिए गए कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इसे अलग तरह से समझने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के बिंदु पर सीधी नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य शामिल है, जो मुद्दे में तथ्य के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं जो एक साथ परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिनसे प्रमुख तथ्य के

अस्तित्व का कानूनी रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है या धारणा की जा सकती है।

2.2. ऐसे मामलों में जहां सबूत एक परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो वे परिस्थितियाँ जिनसे उन्हें पृथमतः निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पृथमतः पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे प्रस्तावित परिकल्पना के अतिरिक्त हरेक परिकल्पना को नकारती हो। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक शृंखला होनी चाहिए जो कि अभियुक्त के निर्दोष होने के किसी युक्तियुक्त आधार के संगत नहीं हो औश्र जिससे यही प्रकट हो कि तमाम मानवीय संभावनओं के भीतर अभियुक्त के द्वारा ही कृत्य किया गया होगा। [पैरा 14] [568-सी-ई]

हुकुम सिंह बनाम। राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1063; एराडू बनाम। राज्य हैदराबाद, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316, एरभद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य, A.I.R (1983) एससी 446; यू. पी. राज्य बनाम सुखबासी और ओआरएस। , A.I.R (1985) एससी 1224; बलविंदर सिंह उर्फ दलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, A.I.R (1987) एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1989)

एस. सी. 1890 और हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य वी. एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 343 पर निर्भर था।

भगत राम बनाम पंजाब राज्य, A.I.R (1954) एससी 621; सी. चेंगा रेड्डी और ओआरएस। वी. ए. पी. राज्य, [1996] 10 एस. सी. सी 193; पदाला वीरा रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 79; यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (1992) सीआरएल एलजे 1104; और शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, A.I.R (1984) एस. सी. 1622, संदर्भित।

सर अल्फ्रेड विल्स की विल्स , जिसका उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 624/2001

1995 की आपराधिक अपील सं. 151 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.1999 से

डी. एन. गोबर्धन, पिंकी आनंद और गीता लूथरा अपीलार्थी के लिए।

प्रत्यर्थी के लिए रवींद्र केशवराव अदसूरे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया-

1. इस अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें 302, 394 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.')

की धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

2. सत्र मामले में निचली अदालत यानी विद्वान सत्र न्यायाधीश, ठाणे ने सेशन प्रकरण संख्या 586/89 में अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों का दोषी पाया और अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ क्रमशः आजीवन और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

दिनांक 1.7.1989 को द्वारकाबाई (इसके बाद मृतका के रूप में संदर्भित) सुलभा (पीडब्लू-2) के साथ अपने खेत में गई। चूंकि pw2 सुलभा उपवास कर रही थी क्योंकि उक्त दिनांक को सोमवार था, इसलिए उसे मृतका ने घर लौटने के लिए कहा। उनका बेटा (पीडब्लू-1) और उसका भाई किसी अन्य काम के लिए बाहर गए थे। जब वे लौटे तो शाम 6 बजे के आसपास उन्हें अपनी माँ नहीं मिली और इसलिए पीडब्लू-1 ने अपनी पत्नी (पीडब्लू-2) से पूछा कि उनकी माँ कहाँ हैं। उसने जवाब दिया कि मृतका ने उसे घर लौटने के लिए कहा था। फिर पीडब्लू-1 और अन्य लोगों ने उसकी माँ की तलाश की लेकिन उस दिन वह नहीं मिली और अगले दो दिनों में दिनांक 4/7/89 को वह अपनी बहन के घर गया 05/7/89 को लौट आया और जब दुर्घटनावश मौत की प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात् 6.7.89 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अपीलार्थी द्वारा किए गए

कथित प्रकटीकरण के आधार पर दरांती, हमले का हथियार और कुछ गहने बरामद किए गए।

जाँच पूरा होने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी हरिशचंद्र लदाकू थांगेव के खिलाफ विचारण प्रारंभ हुआ। अपराध के लिए एक उद्देश्य का संकेत दिया गया था अर्थात आरोपी द्वारा मृतक को उसका बकाया नहीं चुकाने के लिए सबक सिखाने की धमकी दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कुछ परिस्थितियों को उजागर किया था। निचली अदालत ने परिस्थितियों को आरोपी विरुद्घ के अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त पाया और तदनुसार दोषसिद्धि दर्ज की गई।

4. अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है । दरांती की बरामदगी को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूंकि मृतका और अभियुक्त का रक्त समूह समान था, इसलिए अभियुक्त के कपड़ों पर केवल रक्त की उपस्थिति ही दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

6. प्रत्यर्थी राज्य के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न केवल दरांती की बरामदगी की गई बल्कि अभियुक्त और मृतका को आखिरी बार दोपहर 12.30 के आसपास एक साथ देखा गया था। इसके बाद मृतका को जीवित नहीं देखा गया। उनके अनुसार, निचली अदालत द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थीं। निचली अदालत द्वारा उजागर की गई परिस्थितियाँ इस प्रकार हैंः

(i) मृत द्वारकाबाई की हत्या कर दी गई है और जो गहने उसने अपनी मृत्यु के समय अपने व्यक्ति पर पहने थे, वे चोरी हो गए थे और लापता पाए गए थे जब उसका मृत शरीर मिला था।

(ii) अभियुक्त ने 27 जून, 1989 को द्वारकाबाई की नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वह 1 जुलाई, 1989 को 13 बजे उनके खेत में उस समय मौजूद पाया गया जब द्वारकाबाई खेत में अकेली थीं और द्वारकाबाई को दिनांक 01/07/89 के बाद कभी भी अकेली नहीं देखा गया था।

(iii) अभियुक्त की शर्ट पर मृतका का रक्त समूह के रक्त के धब्बे हैं।

(iv) अभियुक्त के कहने पर मृतक द्वारकाबाई के आभूषणों की बरामदगी और उन्हें जिस कपड़े के टुकड़े में बांधा गया था। उस कपड़े पर रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्श 36 के अनुसार मृतक के रक्त समूह के रक्त के धब्बे होना पाये गए है।

(v) अभियुक्त ने दिनांक 27.6.89 को द्वारकाबाई और पी.डब्ल्यु.1 ज्ञानदेव से 3,000/- रुपये की मांग की थी। अभियुक्तों ने उन्हें धमकी दी थी कि वह देखेगा कि उन्होंने भुगतान कैसे नहीं किया और उन्हें चार दिन के भीतर उस बारे में पता चल जाएगा।

7. तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने से पूर्व यह कहा जा सकता है कि किसी अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराध को घटित होते देखा जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष सीधी प्रत्यदर्शी साक्ष्य द्वारा, चश्मदीद गवाहों, जिन्होंने अपराध अपने समक्ष घटित होते देखा है, को परीक्षित कराकर ही उसे साबित कराया जाए। अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। मुख्य तथ्य या तथ्यात्मक प्रोबैंडम को अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यात्मक प्रोबन्स, यानी साक्ष्यात्मक तथ्य से लिए गए कुछ निष्कर्षों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इसे अलग तरह से समझने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुद्दे के बिंदु पर सीधी नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न अन्य तथ्यों के साक्ष्य जो मुद्दे में तथ्य के साथ इतने निकटता से जुड़े हुए हैं जो एक साथ परिस्थितियों की एक श्रृंखला बनाते हैं जिनसे प्रमुख तथ्य के अस्तित्व का कानूनी रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है या धारणा की जा सकती है।

8. यह इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित किया गया है कि जहां एक मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते है तो, अपराध का निष्कर्ष केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता या किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत हो। (हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. (1977) एस. सी. 1063, एराडू बनाम। हैदराबाद राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316, एरभद्रप्पा बनाम की स्थिति कर्नाटक, A.I.R (1983) एससी 446, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी और अन्य, A.I.R (1985) एससी 1224, बलविंदर सिंह उर्फ दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, A.I.R (1987) एससी 350 और अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1890। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और उन परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दिखाया जाना चाहिए। भगत राम बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 621 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामला परिस्थितियों के निष्कर्ष पर निर्भर करता है तो परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जिससे अभियुक्त की बेगुनाही को नकारा जा सके और अपराधों को किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया जा सके।

9. इस न्यायालय के निर्णय को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है।

चेंगा रेड्डी और अन्य बनाम ए. पी. राज्य, [1996] 10 एस. सी. सी. 193, में अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा, साबित की गई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के विरुद्घ आरोपित अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए।

10. पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 79 में यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसी साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। उन्हें प्रबलता और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;
(2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो कि त्रुटिहीन अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करे,

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस उपसंहार के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सके कि मानव संभाव्यता के अनुसार और (4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण हो अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होनी चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होनी चाहिए बल्कि अभियुक्त की मासुमियत के साथ असंगत होनी चाहिए।

11. यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, (1992) सीआरएल। एल. जे. 1104 में यह बताया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए।और यदि साक्ष्य दो निष्कर्षों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो जो साक्ष्य अभियुक्त के पक्ष में हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

12. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी सराहनीय पुस्तक 'विल्स' सर्कमस्टैंटिअल एविडेंस '(अध्याय VI) में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है जिनका विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए।

(1) उन तथ्यों, जिन्हें विधिक निष्कर्ष के आधार के रुप में अभिकथित किया गया है को स्पष्टतया साबित किया जाए एवं तथ्य पेरोबैडम के साथ संदेह से परे जोड़ा जाए।

(2) सबूत का बोझ हमेशा उस पक्ष पर होता है। जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जिससे कानूनी जवाबदेही का निष्कर्ष निकलता है।

(3) सभी मामलों में, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का हो, मामले की प्रकृति के अनुसार सबसे अच्छी साक्ष्य प्रस्तुत कि जाना चाहिए

(4) अपराध के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्यों को अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए और अन्य युक्तियुक्त परिकल्पना के तहत अभियुक्त के अपराध के अतिरिक्त अन्य स्पष्टीकरण हेतु असमर्थ होना चाहिए।

(5) यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने के अधिकार का हकदार है।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा 1952 में निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून की कसौटी पर किया जाना चाहिए।

14. हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम एम. पी. राज्य, A.I.R (1952) एस. सी. 343 में अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां सबूत एक परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो, वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पृथमतः पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए,और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनरुप होने चाहिए। परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे प्रस्तावित परिकल्पना के अतिरिक्त हरेक *परिकल्पना को नकारती हो। दूसरे शब्दों में, सबूतों की एक शृंखला होनी चाहिए जो कि अभियुक्त के निर्दोष होने के किसी युक्तियुक्त आधार के संगत नहीं हो और जिससे यही प्रकट हो कि तमाम मानवीय संभावनाओं के भीतर, कृत्य अभियुक्त के द्वारा ही किया गया होगा।

15. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, A.I.R (1984) एससी 1622 में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में बात करते हुए, यह माना गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की कमी की दुर्बलता को झूठे बचाव या याचिका से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने से पूर्व जो पूर्ववर्ती स्थितियां पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैंः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ आवश्यक हैं या होना चाहिए और स्थापित नहीं किया जा सकता है;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरुप हो अर्थात, उन्हें अभियुक्त के दोष को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना के तौर पर समझाया नहीं जा सकता हो।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें एक परिकल्पना जिसे सिद्घ किया जाना है, को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त के निर्दोष होने के युक्तियुक्त आधार के निष्कर्ष को नहीं छोड़ती हों, और यहीं प्रकट करें कि सभी मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

16. जहाँ तक अभियोजन पक्ष की अंतिम बार देखे जाने के तर्क का संबंध है, तो यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू-4 ने वास्तव में आरोपी और मृतक को एक साथ नहीं देखा था। उसने जो कहा था वह यह था कि आरोपी खेत के पास कुछ दूरी पर मौजूद था। उसका यह कथन वास्तव में अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने की अवधारणा में नहीं लाता है। यदि ऐसा था, तो तर्क पीडब्लू-4 पर भी समान रूप से लागू होता है।

17. जहां तक बरामदगी का सवाल है, तो विचारण न्यायालय ने खुद ही हमले के कथित हथियार यानी दरांती की बरामदगी के तर्क को खारिज कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि कथित घटना 1.7.89 पर हुई थी। 5.7.89 तक शव को किसी ने नहीं देखा था। पीडब्लू-1 के अनुसार उन्होंने और अन्य लोगों ने शव की तलाश की थी। दिलचस्प बात यह है कि शव उस खेत के बगल में मिला जहां मृतक कथित तौर पर काम कर रही थी, यहां तक कि 5.7.89 को आकस्मिक मृत्यु के मामले की सूचना सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 द्वारा दी गई थी।

18. उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की पूर्ण शृंखला स्थापित की गई हैं। दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है। अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोपों से बरी किया जाता है। उसे जमानत पर रिहा करने के लिए निष्पादित जमानत मुचलके को निरस्त किया जाता है।

19. अपील स्वीकार की जाती है।

एन. जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संदीप कौर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।